रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072026-274877
CG-DL-E-27072026-274877

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3867] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2026/आषाढ 31, 1948
No. 3867] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2026/ASHADHA 31, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2026

का.आ. 4037(अ).— यतः मेसर्स लैंको हिल्स टेक्नोलॉजी पार्क प्राइवेट लिमिटेड ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28), जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है, की धारा 3 के तहत तेलंगाना राज्य के रंगा रेड्डी जिले के राजेंद्र नगर मंडल के मणिकोंडा गांव में सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने हेतु का प्रस्ताव किया था;

और, यत: केन्द्रीय सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित क्षेत्रों को उपरोक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित/ गैर-अधिसूचित किया है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में विवरण दिया गया है;-

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख	अधिसूचित क्षेत्र(हेक्टेयर में)	अतिरिक्त क्षेत्र (हेक्टेयर में)	परिणामी क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)
(i).	का.आ 550(अ)	10.04.2007	11.77	-	11.77
(ii).	का.आ. 2899(अ)	24.09.2013	-	0.66	12.43

और, यत:, मेसर्स लैंको हिल्स टेक्नोलॉजी पार्क प्राइवेट लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र से 8.98 हेक्टेयर भूमि के विभाजन और आंशिक रूप से गैर-अधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यत: तेलंगाना राज्य सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल, 2026 के पत्र संख्या 922/आईटी एंड सी/प्रोम 2/2006 के माध्यम से विशेष आर्थिक क्षेत्र के आंशिक रूप से गैर-अधिसूचित करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है;

और, यत: विकास आयुक्त विशाखापत्तनम एसईजेड ने एसईजेड के विभाजन और विशेष आर्थिक जोन में 8.98 हेक्टेयर क्षेत्र को आंशिक रूप से गैर-अधिसूचित करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है;

और, यत:, विशेष आर्थिक जोनों संबंधी अनुमोदन बोर्ड ने उपरोक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र के विभाजन और उपरोक्त विषेश आर्थिक क्षेत्र के 8.98 हेक्टर क्षेत्र को आंशिक रूपसे गैर अधिसूचित करने की सिफारिश की है;

और, यत:, केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (8) के अन्तर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया हैं;

अब, इसलिए आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (1) के द्वितीय परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियमों का अनुसरण करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा उपरोक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करती है और उपरोक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र से 8.98 हेक्टेयर भूमि को गैर-अधिसूचित करती है। विभाजन और 8.98 हेक्टेयर भूमि को आंशिक रूप से गैर-अधिसूचित करने के बाद दोनों विशेष आर्थिक क्षेत्रों के भूमि क्षेत्र का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है, अर्थात्:-

एसईजेड क्षेत्र संबंधी तालिका

क. मेसर्स लैंको हिल्स टेक्नोलॉजी पार्क प्राइवेट लिमिटेड एसईजेड- क

बिंदु	सर्वेक्षण सं.	अक्षांश	देशान्तर	स्टेशन	बियरिंग	दूरी (मीटर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
क	201/भाग	17 ° 24'41. 99”उत्तर	78 ° 22'12. 61”पूर्व	ए-बी	132.25⁰	81.2	0.66 हेक्टेयर
ख		17 ° 24'40. 32”उत्तर	78 ° 22'14. 51”पूर्व	बी-सी	41.8 ⁰	81.3	
ग		17 ° 24'42. 21”उत्तर	78 ° 22'16. 31”पूर्व	सी-डी	310.84⁰	83	
घ		17 ° 24'43. 77”उत्तर	78 ° 22'14. 28”पूर्व	डी-ए	220.71⁰	80.1	

ख. मेसर्स लैंको हिल्स टेक्नोलॉजी पार्क प्राइवेट लिमिटेड एसईजेड-ख

बिंदु	सर्वेक्षण सं.	अक्षांश	देशान्तर	स्टेशन	बियरिंग	दूरी (मीटर में)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
क	201/भाग	17°24'46.41"उत्तर	78°21'58.36"पूर्व	ए-बी	136°	111.7	2.79 हेक्टेयर
ख		17°24'44.62"उत्तर	78°22'0.09"पूर्व	बी-सी	65°	15.6	
ग		17°24'44.76"उत्तर	78°22'0.46"पूर्व	सी-डी	108°	28.2	
घ		17°24'44.44"उत्तर	78°22'1.73"पूर्व	डी-ई	184.1°	29.9	
ङ		17°24'43.25"उत्तर	78°22'1.60"पूर्व	ई-एफ	133°	74.2	
च		17°24'39.24"उत्तर	78°22'6.07"पूर्व	एफ-जी	145.95°	28.1	
छ		17°24'38.51"उत्तर	78°22'6.60"पूर्व	जी-एच	46.85°	169.8	
ज		17°24'42.01"उत्तर	78°22'10.65"पूर्व	एच-आई	307.8°	126	
झ		17°24'44.78"उत्तर	78°22'6.83"पूर्व	आई-जे	300°	88.4	
ञ		17°24'47.84"उत्तर	78°22'1.23"पूर्व	जे-के	261.83°	40	
ट		17°24'47.64"उत्तर	78°22'0.11"पूर्व	के-ए	233.7°	83.1	

[फा. सं. एफ.2/304/2006-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2026

S.O. 4037(E).— Whereas, M/s. Lanco Hills Technology Park Private Limited, had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) hereinafter referred to as the Act, to set up a Sector Specific SEZ for Information Technology/Information Technology Enabled Services at Manikonda Village, Rajendra Nagar Mandal, Ranga Reddy District, in the State of Telangana;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified/de-notified the following areas at above Special Economic Zone as per the details given below in the table: -

S. No.	Notification No.	Notification Date	Notified Area (in hectares)	Additional Area (in hectares)	Resultant Area (in hectares)
(i).	S.O. 550(E)	10.04.2007	11.77	-	11.77
(ii).	S.O. 2899(E)	24.09.2013	-	0.66	12.43

AND, WHEREAS, M/s. Lanco Hills Technology Park Private Limited has now proposed for bifurcation of SEZ and partial de-notification of 8.98 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Telangana has given its approval for the partial denotification of the special economic zone vide letter No. 922/IT&C/Prom2/2006 dated 1st April, 2026;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Visakhapatnam SEZ has recommended the proposal for bifurcation of SEZ and partial de-notification of an area of 8.98 hectares of the Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Board of Approval for Special Economic Zones recommended for bifurcation of above Special Economic Zone and partially denotification of 8.98 Ha of above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby bifurcate the above special economic zone into two part and denotifies 8.98 Ha from the above Special Economic Zone. The land area detail after bifurcation and partial de-notifying 8.98 hectare for both the SEZs, are given below in the table, namely:-

TABLE FOR SEZ AREA

A. M/s. Lanco Hills Technology Park Private Limited SEZ-A

Point	Survey No.	Latitude	Longitude	Station	Bearing	Distance (in Mtrs.)	Area (In Ha)
A	201/Part	17°24’41.99”N	78°22’12.61”E	A-B	132.25°	81.2	0.66 Ha
B		17°24’40.32”N	78°22’14.51”E	B-C	41.8°	81.3	
C		17°24’42.21”N	78°22’16.31”E	C-D	310.84°	83	
D		17°24’43.77”N	78°22’14.28”E	D-A	220.71°	80.1	

B. M/s. Lanco Hills Technology Park Private Limited SEZ-B

Point	Survey No.	Latitude	Longitude	Station	Bearing	Distance (in Mtrs.)	Area (in Ha)
A	201/Part	17°24'46.41"N	78°21'58.36"E	A-B	136°	111.7	2.79 Ha
B		17°24'44.62"N	78°22'0.09"E	B-C	65°	15.6	
C		17°24'44.76"N	78°22'0.46"E	C-D	108°	28.2	
D		17°24'44.44"N	78°22'1.73"E	D-E	184.1°	29.9	
E		17°24'43.25"N	78°22'1.60"E	E-F	133°	74.2	
F		17°24'39.24"N	78°22'6.07"E	F-G	145.95°	28.1	
G		17°24'38.51"N	78°22'6.60"E	G-H	46.85°	169.8	
H		17°24'42.01"N	78°22'10.65"E	H-I	307.8°	126	
I		17°24'44.78"N	78°22'6.83"E	I-J	300°	88.4	
J		17°24'47.84"N	78°22'1.23"E	J-K	261.83°	40	
K		17°24'47.64"N	78°22'0.11"E	K-A	233.7°	83.1	

[F. No. F.2/304/2006-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA